न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–111/2012/भीलवाड़ा (2012/00031)

1. जशोदा बाई पुत्री स्व0 घीसूलाल, जाति ब्राहमण्, निवासी मेघरास, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र घीसूलाल ब्राहमण, नि0 मेघरास, हाल निवासी देवनारायण कॉलोनी आजादनगर, भीलवाड़ा ।
2. सत्यप्रकाश पुत्र बद्रीलाल, नि0 मेघरास, हाल नि0 आरणी, तह0 राशमी, जिला चित्तोड़गढ़ ।
3. कमलादेवी पुत्री बद्रीलाल, नि0 मेघरास, तह0 सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
4. चन्दा पुत्री बद्रीलाल,
5. सरोज पुत्री बद्रीलाल,
6. तुलसी बैवा बद्रीलाल,
   समस्त जाति ब्राहमण, निवासी मेघरास, हाल नि0 आरणी, तह0 राशमी, जिला चित्तोड़गढ़ ।
7. राजू पुत्र देवीलाल ब्राहमण, नि0 ईला जी का चौक, पण्डितों का मौहल्ला, वार्ड नं0 11, गंगापुर, तह0 सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
8. देवीलाल पुत्र पन्नालाल ब्राहमण, निवासी ईला जी का चौक, पण्डितों का मौहल्ला, वार्ड नं0 11, गंगापुर, तह0 सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा दिनांक 31.1.2012 अंतर्गत अपील संख्या 2/2011.

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री अजीत लोढ़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 8 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 27.11.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 31.1.2012 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मेघरास तहसील सहाड़ा में अवस्थित अपीलमीमों में वर्णित विवादित आराजियात का नामांतकरण संख्या 39 दिनांक 20.3.1962 को ग्राम पंचायत, भूणास के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 मांगीलाल व रेस्पो0 संख्या 2 बद्रीलाल के पक्ष में खोला गया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के न्यायालय में प्रस्तुत कर नामांतकरण संख्या 39 दिनांक 20.3.1962 को अपास्त करने का निवेदन किया । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर ने निर्णय दिनांक 31.1.2012 द्वारा अपीलांट की अपील धारा 5 मियाद अधि0 एवं धारा 96 जा0दी0 के आधार पर खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 1 उपस्थित । रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्याया0 की पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांट मृतक खातेदार घीसा की पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है जिससे अपीलांट का भी मृतक खातेदार की आराजी में 1/4 हिस्सा निहित था तथा इसी अनुसार 1/4 हिस्से का नामांतकरण अपीलांट के पक्ष में तस्दीक किया जाना चाहिये था लेकिन ग्राम पंचायत ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामांतकरण रेस्पो0 के पक्ष में स्वीकृत करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट विवादित आराजियात में अपने 1/4 हिस्से की पैतृक भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रही है । विवादित आराजियात पक्षकारान की पैतृक सम्पति है जिसमें खातेदार की मृत्यु उपरांत प्रत्येक का बराबर–बराबर हक व हिस्सा है । अपीलांट खातेदार की जायंदा पुत्री होने से उसका विवादित आराजियात में जन्म से हक व अधिकार निहित है । अधी0न्याया0 ने केवल मात्र अपील को मियाद बाहर मानकर तथा अपीलांट को व्यथित पक्षकार नहीं मानकर अपील को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है जबकि अपीलांट मृतक खातेदार की जायंदा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उसका भी विवादित आराजियात में 1/4 हिस्सा निहित है जिससे उसे वंचित नहीं

किया जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा तथा ग्राम पंचायत, भूणास द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संश्ख्या 39 दिनांक 20.3.1962 को अपास्त किया जावे। विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1993 पेज 411, आर0बी0जे 1999 पेज 183 सुप्रीमकोर्ट के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

4- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस मे कथन किया कि अपीलांट ने अधी0न्याया0 में नामांतकरण संख्या 39 दिनांक 20.3.1962 के विरूद्ध सन् 2011 में लगभग 49 वर्षो के भारी अंतराल के बाद मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है तथा मियाद के प्रार्थना पत्र में भी विलंब के संतोषप्रद एवं उचित कारण अंकित नहीं किये है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के संतोषप्रद एवं उचित कारण अंकित नहीं किये जाने से विधिसम्मत् रूप से अपील मियाद बाहर मानकर खारिज की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलांट ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामांतकरण संख्या 39 में पक्षकार नहीं थी जिससे अपीलांट को अधी0न्याया0 में अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था किन्तु अधी0न्याया0 ने धारा 96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर किसी प्रकार की अनुमति नहीं चाही है जिससे भी अपीलांट की अपील पोषणीय नहीं थी । अपीलांट को विलंब के दिन–प्रति–दिन का कारण प्रार्थना पत्र में अंकित करना आवश्यक था किन्तु अपीलांट ने विलंब के समुचित कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये है । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपीलांट की अपील भारी मियाद होने से विधिसम्मत् रूप से मियाद के बिन्दू पर खारिज की है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पो0 के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया । अधी0न्याया0 एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने नामांतकरण संख्या 39 दिनांक 20.3.1962 के विरूद्ध लगभग 49 वर्षो के भारी विलंब से दिनांक 20.6.2011 को अपील प्रस्तुत की है । अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में नामांतकरण संख्या 39 दिनांक 20.3.1962 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.5.2011 को पटवारी हल्का से नकल लेने जाने पर होने का कथन किया है। 49 वर्षो तक खातेदार की मृत्यु उपरांत रेस्पो0 के पक्ष में तस्दीक नामांतकरण संख्या 39 दिनांक 20.3. 1962 की जानकारी अपीलांट को नहीं होने के संबंध में किया गया कथन उचित प्रतीत नहीं होता है । अपीलांट को विलंब के दिन–प्रतिदिन के कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित करना आवश्यक था तथा प्रार्थना पत्र के कथनों को साबित करने की जिम्मेदारी अपीलांट स्वंय की है जिसमें अपीलांट पूर्णतया असफल रही है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में 49 वर्षो के भारी विलंब के दिन प्रतिदिन के संबंध में

संतोषप्रद कोई आधारभुत व तथ्य एवं उचित कारण अंकित नहीं करने से विधिसम्मत् रूप से अपीलांट की अपील मियाद बिन्दू पर खारिज की है जिसमें हमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

6- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.1.2012 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–ःक्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 111/2012 (2012/00031) बउनवानी जशोदा बाई बनाम मांगीलाल को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर द्वारा प्रकरण संख्या 2/2011 बउनवान जशोदाबाई बनाम मांगीलाल में पारित निर्णय दिनांक 31.1.2012 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 27.11.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2018.11.28 12:44:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: